संख्या-108/2024/3945/22-2-2023-17(414)/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार **द्विवेदी**,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 29 अगस्त, 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भूपाल सिंह पुत्र श्री धनपत सिंह, निवासी जनपद-बलरामपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक के पत्र संख्या-32475/प्रोबे0-5-दयायाचिका/बैठक-19.10.2023, दिनांक 02.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भूपाल सिंह पुत्र श्री धनपत सिंह, ग्राम-खैराकोट पड़री, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-बलरामपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा मुकदमेंबाजी की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.07.1977 को 25 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर मैना देवी नामक महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-218/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 323/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, गोण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 07.09.2017 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2023 तक 07 वर्ष, 01 माह, 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष, 03 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा प्रश्नगत बन्दी के द्वारा विचाराधीन अवधि तथा सिद्धदोष अवधि में काटी गई सजावधि का परीक्षण कर पुनर्विचारण किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 67 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2023 तक अपरिहार 07 वर्ष, 01 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 22 दिन की भोगी गयी सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भूपाल सिंह (बन्दी संख्या-293/2019) पुत्र श्री धनपत सिंह, निवासी जनपद-बलरामपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार **द्विवेदी**
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-108/2024/3945(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद/जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में योजित क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-8073(एम0बी0)/2023 मालिकराज सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024, दिनांक 11.03.2024 दिनांक 21-03-2024 एवं दिनांक 04-04-2024 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित पिटीशन (एस) फार स्पेशल लीव टू अपील (क्रि0) नं(एस)-1585/2018 भूपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 02.12.2019 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।